

सं. 8021 /नेडा-एसई-फ्लोटिंग सोलर पावर प्लाण्ट/2023-24  
उ.प्र. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,  
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ  
दिनांक: 28/03/2025

### कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश के बांधो/जलाशयों पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना को बढ़ावा दिये जाने हेतु व्यवस्था प्राविधानित है। उक्त के क्रम में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश सं0 372/87- अति0ऊ0सो0 वि0/2024 दिनांक 14.03.2024 (प्रति सलंगन) के द्वारा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 के बांधो/जलाशयों पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना हेतु आवंटित किये जाने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना के लिये प्रदेश के 35 बांधो/जलाशयों को चिन्हित किया गया है (सूची सलंगन)। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना कराये जाने हेतु निवेशको को बांधो/जलाशयों का आवंटन किये जाने हेतु निम्नवत प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:-

#### 1. सामान्य बिन्दु

##### i. निवेशक की परिभाषा:-

अ. सार्वजनिक उपक्रम - केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन।

ब. अन्य उपक्रम - निजी क्षेत्र, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रमों, इत्यादि।

ii. बांधो/जलाशयों का आवंटन निवेशको को करने हेतु यूपीनेडा द्वारा विकसित पोर्टल पर आवेदन प्राप्त किये जायेगे। दिनांक 30.04.2025 तक प्राप्त आवेदनों को एकल-लॉट मानकर प्रथम आवक प्रथम पावक के अनुसार मूल्यांकन किया जायेगा।

iii. इसी प्रकार प्रत्येक माह में प्राप्त आवेदन को एकल-लॉट माना जायेगा।

iv. फ्लोटिंग सोलर पावर प्लाण्ट से उत्पादित विद्युत ऊर्जा के विक्रय हेतु निवेशकों द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि0 द्वारा आमंत्रित निविदाओं में प्रतिभाग किया जा सकता है अथवा ओपेन एक्सेस में मा0 उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्गत रेग्यूलेशन के अनुसार कैपटिव उपयोगार्थ किया जा सकता है।

#### 2. लॉट साइज

i. प्रत्येक बांधो/जलाशयों पर 100-100 मेगावाट के लॉट्स तैयार कर सूचना पोर्टल पर उपलब्ध करायी जायेगी।

ii. बांधो/जलाशयों जिनकी क्षमता 100 मेगावाट से कम होगी उसको एक लॉट मानते हुए पूर्ण क्षमता के आवंटन हेतु, सूचना पोर्टल पर उपलब्ध करायी जायेगी।

### 3. आवंटन क्राइटेरिया

- i. सार्वजनिक उपक्रमों को आवंटन हेतु शीर्ष वरीयता प्रदान की जायेगी।
- ii. भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रमों को निजी निवेशको के ऊपर वरीयता प्रदान की जायेगी।
- iii. निजी निवेशको में जिन निवेशक द्वारा अधिकतम क्षमता के लॉट के लिये आवेदन किया जायेगा, उन्हें वरीयता प्रदान की जायेगी।
- iv. जिन निवेशको द्वारा समान क्षमता के लॉट हेतु आवेदन किया जायेगा, उनको नेटवर्थ के आधार पर वरीयता प्रदान की जायेगी।
- v. नेटवर्थ समान होने की दशा में लाट्री के माध्यम से आवंटन होगा।

### 4. अनिवार्य पात्रता

- i. निवेशको की नेटवर्थ न्यूनतम रु. 01 करोड़ प्रति मेगावाट होनी चाहिए।

### 5. क्रियान्वयन

- i. निवेशकों द्वारा रूपया एक लाख प्रति मेगावाट की दर से ईएमडी बैंक गारण्टी के रूप में यूपीनेडा के पक्ष में आवेदन के साथ जमा की जायेगी, जिसकी वैधता 06 माह होगी।
- ii. निवेशको द्वारा निम्नवत अभिलेख आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जायेगे:-
  - प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट (पीएफआर)
  - अर्नेस्ट मनी डिपोजिट (ईएमडी)
  - नेटवर्थ (सीए सर्टिफाइड)
  - आडिटेड बैलेन्सशीट (विगत 03 वर्षों की)
  - मेमोरेण्डम ऑफ एसोशिएशन (एमओए)
  - शेयर होल्डिंग पैटर्न।
- iii. पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष बांध/जलाशय का आवंटन शासनादेश सं0 372/87-अति0ऊ0स्रो0 वि0/2024 दिनांक 14.03.2024 के माध्यम से गठित राज्य स्तरीय समिति के द्वारा किया जायेगा।
- iv. निवेशकों को बांध/जलाशय का रु. 15000 प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की लीज दर पर 30 वर्षों हेतु आवंटन किया जायेगा।
- v. निवेशकों को परियोजना स्थापना के 3 वर्ष तक शेयर होल्डिंग पैटर्न बदलने की इजाजत नहीं होगी ।

### 6. परफारमेंस बैंक गारण्टी

- i. निवेशकों द्वारा परियोजना लागत की 5 प्रतिशत धनराशि परफारमेंस बैंक गारण्टी के रूप में यूपीनेडा के पक्ष में जमा की जायेगी, जिसकी वैधता परियोजना कमिशनिंग की तिथि तक होगी।
- ii. निवेशकों द्वारा परफारमेंस बैंक गारण्टी जमा करने के उपरांत ईएमडी वापस की जायेगी।
- iii. निवेशकों द्वारा जमा परफारमेंस बैंक गारण्टी परियोजना की पूर्ण क्षमता की निर्धारित समयसीमा के अन्तर्गत सफल कमिशनिंग के उपरांत वापस की जायेगी।

## 7. सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट्स की समय सीमा

- i. राज्य स्तरीय समिति से बांध/जलाशय आवंटन के उपरांत निवेशको द्वारा 01 माह के अन्दर पीबीजी जमा कर लीज डीड हस्ताक्षरित की जायेगी।
- ii. निवेशकों द्वारा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट का फाईनेन्शियल क्लोजर 06 माह के अन्दर प्राप्त किया जायेगा।
- iii. निवेशकों को आवंटित बांध/जलाशय पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना एवं कमिश्निंग 1000 मेगावाट क्षमता तक की परियोजना 24 माह एवं 1000 मेगावाट से अधिक क्षमता की परियोजना 30 माह के अन्दर की जायेगी।
- iv. फ्लोटिंग सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना एवं कमिश्निंग का कार्य निम्नवत माइलस्टोन्स के अनुसार पूर्ण कराया जायेगा:-

| क्र.स. | माइलस्टोन   | समय सीमा            |
|--------|---|---------------------|
| 1      | आवंटन की तिथि   | T0                  |
| 2      | लीज डीड अनुबंध हस्ताक्षरित करना एवं पीबीजी जमा करना।                      | T1 = T0 + 1 month   |
| 3      | फाईनेन्शियल क्लोजर  | T2 = T1 + 6 months  |
| 4      | फ्लोटिंग सोलर पावर प्लाण्ट की समस्त सामग्री की आपूर्ति                    | T3 = T1 + 12 months |
| 5      | परियोजना स्थापना/ कमिश्निंग<br>(1000 मेगावाट क्षमता तक की परियोजनाएँ)     | T4 = T1 + 24 months |
|        | परियोजना स्थापना/कमिश्निंग<br>(1000 मेगावाट से अधिक क्षमता की परियोजनाएँ) | T4 = T1 + 30 months |

- v. निवेशकों द्वारा माइलस्टोन हेतु निर्धारित समयसीमा में विलम्ब किये जाने पर अधिकतम 02 माह तक का समय विस्तार निदेशक, यूपीनेडा के स्तर से परियोजना लागत की 0.05 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से पीबीजी जम्ब कर, पेनाल्टी कटौती करते हुए प्रदान किया जायेगा।
- vi. निवेशकों को 02 माह से अधिक का समय विस्तार राज्य स्तरीय समिति के स्तर पर प्रदान किया जायेगा।
- vii. सामान्यतः 06 माह तक का समय विस्तार पेनाल्टी के साथ प्रदान किया जा सकेगा।
- viii. निवेशकों को माइलस्टोन में विलम्ब हेतु की गयी पेनाल्टी कटौती की धनराशि को, कटौती की तिथि से 15 दिवस के अन्दर प्रतिपूर्ति किया जायेगा।
- ix. निवेशकों को निर्धारित अगले माइलस्टोन की समयसीमा में कार्य पूर्ण कराये जाने की स्थिति में पूर्व माइलस्टोन के सापेक्ष विलम्ब हेतु की गयी पेनाल्टी कटौती की धनराशि वापस कर दी जायेगी।
- x. निवेशकों को निर्धारित माइलस्टोन में दिये गये समय विस्तार की अवधि को आगामी सभी माइलस्टोन हेतु निर्धारित समय सीमा में नहीं जोड़ा जायेगा।

## 8. अन्य शर्तें

- i. चिन्हित बांधो/जलाशयों पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना कराये जाने हेतु प्री-फिजिबिलिटी सर्वे में निवेशकों को यूपीनेडा द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा।
- ii. निवेशकों द्वारा यूपीपीटीसीएल/पावर ग्रिड कारपोरेशन इण्डिया लि. से ग्रिड कनेक्टिविटी हेतु अपने स्तर से कार्यवाही की जायेगी।

- iii. चिन्हित बांधो/जलाशयो के लॉट साइज, अनुमानित क्षमता, निकटस्थ ग्रिड सबस्टेशन, बैथीमेट्री रिपोर्ट की tentative सूचना पोर्टल पर उपलब्ध करायी जायेगी। निवेशकों द्वारा उक्त सूचनाओं की प्रमाणिकता हेतु स्वयं अपने स्तर से due diligence की जायेगी, इसके लिए यूपीनेडा उत्तरदायी नहीं होगा।
  - iv. निवेशकों द्वारा शासनादेश संख्या 372/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2024 दिनांक 14.03.2024 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
  - v. निर्धारित प्रक्रिया के संबंध में राज्य स्तरीय समिति का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
9. सार्वजनिक उपक्रमों एवं भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रमों के लिए विशेष प्राविधान:
- i. सार्वजनिक उपक्रमों को नेटवर्थ की पात्रता एवं मापदण्ड से छूट प्रदान की जायेगी, जिनको प्रोजेक्ट का बोर्ड से अप्रूबल/इन-प्रिन्सिपल अप्रूबल प्रदान किया गया हो।
  - ii. सार्वजनिक उपक्रमों को ईएमडी में छूट प्रदान की जायेगी।
  - iii. भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रमों को नेटवर्थ की पात्रता एवं मापदण्ड से छूट प्रदान की जायेगी, जिनको प्रोजेक्ट का बोर्ड से अप्रूबल/इन-प्रिन्सिपल अप्रूबल प्रदान किया गया हो।
  - iv. भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रमों को ईएमडी में छूट प्रदान की जायेगी।
  - v. सार्वजनिक उपक्रमों को बांध/जलाशय का आवंटन रु. 01 प्रति एकड़ प्रतिवर्ष लीज दर पर 30 वर्षों हेतु आवंटन किया जायेगा।
  - vi. सार्वजनिक उपक्रमों एवं भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रमों द्वारा परियोजना लागत की 01 प्रतिशत परफारमेंस बैंक गारण्टी जमा की जायेगी।
  - vii. फ्लोटिंग सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना एवं कमिशनिंग का कार्य निम्नवत माइलस्टोन्स के अनुसार पूर्ण कराया जायेगा:-

| क्र.स. | माइलस्टोन  | समय सीमा            |
|--------|--|---------------------|
| 1      | आवंटन की तिथि  | T0                  |
| 2      | लीज डीड अनुबंध हस्ताक्षरित करना एवं पीबीजी जमा करना।                     | T1 = T0 + 1 month   |
| 3      | फाइनेन्शियल क्लोजर   | T2 = T1 + 6 months  |
| 4      | फ्लोटिंग सोलर पावर प्लाण्ट की समस्त सामग्री की आपूर्ति                   | T3 = T1 + 12 months |
| 5      | परियोजना स्थापना/कमिशनिंग<br>(1000 मेगावाट क्षमता तक की परियोजनाएँ)      | T4 = T1 + 24 months |
|        | परियोजना स्थापना/कमिशनिंग<br>(1000 मेगावाट से अधिक क्षमता की परियोजनाएँ) | T4 = T1 + 30 months |

- viii. जिन सार्वजनिक उपक्रमों/ भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रमों द्वारा चिन्हित बांधो/जलाशयो पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना किये जाने हेतु प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट (पीएफआर) तैयार की गयी है, जो अनुलग्नक-ए में संलग्न है, उन्हें आवेदन हेतु 03 माह का अर्थात् 30 जून 2025 तक पोर्टल पर आवेदन करने हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। उसके उपरांत उक्त बांधो/जलाशयो को निजी निवेशको को उपलब्ध कराये जाने हेतु अवसर प्रदान किया जायेगा।
- ix. सार्वजनिक उपक्रमों एवं भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रमों द्वारा माइलस्टोन निर्धारित समयसीमा में विलम्ब किये जाने पर अधिकतम 02 माह तक का समय विस्तार

- xi. सामान्यतः 06 माह तक का समय विस्तार पेनाल्टी के साथ प्रदान किया जा सकेगा।
- xii. सार्वजनिक उपक्रमों एवं भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रमों को माइलस्टोन में बिलम्ब हेतु की गयी पेनाल्टी कटौती की धनराशि को, कटौती की तिथि से 15 दिवस के अन्दर प्रतिपूर्ति किया जायेगा।
- xiii. सार्वजनिक उपक्रमों एवं भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रमों द्वारा निर्धारित अगले माइलस्टोन की समयसीमा में कार्य पूर्ण कराये जाने की स्थिति में पूर्व माइलस्टोन के सापेक्ष बिलम्ब हेतु की गयी पेनाल्टी कटौती की धनराशि वापस कर दी जायेगी।
- xiv. सार्वजनिक उपक्रमों एवं भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रमों को निर्धारित माइलस्टोन में दिये गये समय विस्तार की अवधि को आगामी सभी माइलस्टोन हेतु निर्धारित समय सीमा में नहीं जोड़ा जायेगा।
- xv. चिन्हित बांधो/जलाशयो के लॉट साइज, अनुमानित क्षमता, निकटस्थ ग्रिड सबस्टेशन की tentative सूचना पोर्टल पर उपलब्ध करायी जायेगी, परन्तु निवेशक द्वारा अपने स्तर से due diligence कर उक्त सूचनाएँ प्राप्त की जायेगी तथा यूपीनेडा इसके लिये उत्तरदायी नहीं होगा।

(अनुपम शुक्ला)  
आई0ए0एस0  
निदेशक, यूपीनेडा।

दिनांक....., 2025

सं. नेडा-एसई- फ्लोटिंग सोलर पावर प्लाण्ट/2023-24

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को संज्ञानार्थ प्रेषित।

1. सचिव, एमएनआरई, भारत सरकार।
2. अपर मुख्य सचिव, अति0ऊ0स्रो0 विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सोलर इनर्जी कारपोरेशन इण्डिया लि0।
4. प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रबंध निदेशक, यूपीपीसीएल।
6. प्रबंध निदेशक, यूपीपीटीसीएल।
7. अधिशासी निदेशक, पावर ग्रिड कारपोरेशन इण्डिया लि0।
8. निदेशक, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेण्टर, लखनऊ।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त वरिष्ठ परियोजना अधिकारी-2/परियोजना अधिकारी/परियोजना प्रभारी, यूपीनेडा।

(अनुपम शुक्ला)  
आई0ए0एस0  
निदेशक, यूपीनेडा।

1. टिहरी हाइड्रो डेवपलेमेंट कारपोरेशन इण्डिया लि०
2. एसजेवीएन ग्रीन इनर्जी लि०

प्रेषक,

महेश कुमार गुप्ता,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,  
विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

लखनऊ: दिनांक: 14 मार्च, 2024

**विषय:- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 के बाँधों/जलाशयों को फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की स्थापना हेतु आवंटित किया जाना।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4329/नेडा-एसई-फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट/2023 दिनांक 08-11-2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति-2022 में दी गयी व्यवस्था के अनुक्रम में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 के बाँधों/जलाशयों को फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की स्थापना हेतु आवंटित किये जाने हेतु सम्यक विचारोपरांत निम्नवत निर्णय लिये गये हैं:-

1. फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए प्रदेश के 35 बाँधों/जलाशयों को चिन्हित किया गया है, जिसका विवरण संलग्न है।
2. उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के बाँधों/जलाशयों पर प्री-फिजिबिलिटी स्टडी के लिए अधिकृत किया जाता है।
3. फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की स्थापना हेतु बाँधों/जलाशयों के आवंटन हेतु निम्नवत् समिति गठित की जाती है:-

(i) अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 - अध्यक्ष  
शासन

(ii) अपर मुख्य सचिव, मत्स्य विभाग, उ0प्र0 शासन - सदस्य  
अथवा

उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो विशेष सचिव से  
अनिम्न हो

(iii) प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 - सदस्य

शासन,

अथवा

उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो विशेष सचिव से अनिम्न हो

(iv) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम - सदस्य

(v) सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी - सदस्य  
अथवा

उनके द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी

(vi) संबंधित क्षेत्र के मुख्य अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग - सदस्य

(vii) निदेशक, उ०प्र० नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण - सदस्य  
सचिव


4. बाँधों/जलाशयों पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना कराये जाने हेतु बाँधों/जलाशयों का आवंटन निजी क्षेत्र के निवेशकों को रू. 15000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की लीज रेन्ट पर तथा सार्वजनिक उपक्रमों हेतु रू. 1.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष लीज रेन्ट की दर से 30 वर्षों हेतु सिंचाई विभाग द्वारा बाँधों/जलाशयों का आवंटन अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को किया जायेगा।
5. अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा आवंटित बाँधों/जलाशयों को फ्लोटिंग सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना हेतु उ०प्र० नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) को उपलब्ध कराया जायेगा। यूपी० नेडा द्वारा बाँधों/जलाशयों को फ्लोटिंग सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना हेतु निवेशकों को उपलब्ध कराया जायेगा। निवेशक के साथ यूपी० नेडा द्वारा लीज डीड हस्ताक्षरित की जायेगी। लीज अहस्तान्तरणीय (Non Transferrable) होगी एवं जलाशय का प्रयोग अनुमोदित परियोजना के लिए किया जायेगा। जलाशय का आवंटन प्रथम आवक एवं प्रथम पावक के आधार पर लीज पर किया जायेगा। लीज की अवधि समाप्त होने के बाद तीन माह के अन्दर निवेशक द्वारा जलाशय के ऊपर से सभी उपकरण/निर्माण आदि हटाकर उसका कब्जा यूपी० नेडा को वापस कर दिया जायेगा।
6. प्रत्येक निवेशकर्ता द्वारा लीज रेन्ट की धनराशि यूपी० नेडा के खाते में जमा की जायेगी एवं यूपी० नेडा द्वारा इस सम्पूर्ण धनराशि को राजकोष में जमा किया जायेगा। यूपी० नेडा द्वारा इसका सम्पूर्ण लेखा विवरण सुरक्षित रखा जायेगा। निवेशक द्वारा वार्षिक लीज रेन्ट नियमित रूप से अग्रिम के रूप में यूपी० नेडा में जमा किया जायेगा।
7. जलाशय/बांध के आवंटन के दो माह के अन्दर यदि मौके पर परियोजना के निर्माण/स्थापना की कार्यवाही निवेशक द्वारा आरम्भ नहीं की जाती है तो उस

- दशा में उक्त निवेशक को यू०पी० नेडा द्वारा एक सुनवाई का अवसर देकर उच्च स्तरीय समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त लीज निरस्त कर दी जायेगी।
8. बाँधों/जलाशयों पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना कराये जाने से यदि किसी प्रकार की क्षति होती है तो उसकी भरपाई संबंधित संस्था द्वारा की जायेगी।
  9. फ्लोटिंग सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना के लिए चिन्हित बाँधों/जलाशयों को यदि किसी अन्य कार्य के लिए आवंटित किया जाता है तो इस संबंध में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग की अनापत्ति अपेक्षित होगी।
  10. जलाशय/बाँध में अधिकतम क्षेत्र का आंकलन driest month एवं driest day के आधार पर निर्धारित किया जायेगा। तदनुसार फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का टेक्निकल एवं जियोग्राफिकल पोटेनशियल का आंकलन सम्बन्धित विकासकर्ता/कार्यदायी संस्था द्वारा किया जायेगा तथा उक्त आंकलन के आधार पर अधिकतम क्षमता तथा निर्धारित क्षेत्रफल का आंकलन करते हुए परियोजना हेतु जल क्षेत्र एवं स्थल निर्धारित किया जायेगा।
  11. बाँध/जलाशय के निर्धारित स्थल एवं क्षेत्रफल से ज्यादा कोई कार्य विकासकर्ता/कार्यदायी संस्था द्वारा नहीं किया जायेगा तथा समस्त जल एवं जल क्षेत्र का समस्त स्वामित्व सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश का ही रहेगा।
  12. कार्यदायी संस्था/विकासकर्ता को जलाशय/बाँध पर परियोजना की स्थापना हेतु GAD/Detailed Drawing इत्यादि, सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-2, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को उपलब्ध कराते हुए शासन से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। GAD/Detailed Drawing में अनुमोदनोपरान्त कोई विचलन नहीं किया जायेगा।
  13. प्रस्तावित कार्य योजना के क्रियान्वयन संचालन से बाँध के प्राकृतिक स्वरूप, तटीय स्थिति एवं जल/ पेयजल की गुणवत्ता, निर्मलता/अविरलता, जलीय जीव-जन्तु व वनस्पति, पारिस्थितिकी आदि पर प्रतिकूल प्रभाव न हो।
  14. बाँध/जलाशय की संरचना में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश की लिखित अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।
  15. परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बन्धित विकासकर्ता/कार्यदायी संस्था को प्राप्त करनी होगी। पर्यावरणीय स्वीकृति के सम्बन्ध में कोई भी विपरीत आदेश किसी भी स्तर से पारित होने पर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
  16. बाँधों में मत्स्य पालन किया जाता है, जिसका पूर्ण स्वामित्व मत्स्य निगम/सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश का है। परियोजना की स्थापना/क्रियान्वयन से मत्स्य पालन में होने वाली किसी भी क्षति की प्रतिपूर्ति, विकासकर्ता/ कार्यदायी संस्था द्वारा किया जायेगा।

17. जलाशय/बांध में आने वाली बाढ़ अथवा किसी भी मानवीय त्रुटि अथवा दैवीय आपदा से होने वाले नुकसान का उत्तरदायित्व सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश का नहीं होगा।
18. फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बांध के संचालन में बाधक नहीं बनेगा। इसका पूर्ण ध्यान रखा जायेगा। किसी भी प्रकार का व्यवधान होने पर कार्यस्थल बदलना होगा तथा बांध के निर्माण/अनुरक्षण हेतु आवश्यकता पड़ने पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को स्वयं के व्यय पर हटाना/पुनर्स्थापित करना होगा। इस हेतु कोई भी क्लेम सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नहीं दिया जायेगा।
19. जिस तिथि को कार्य/क्षेत्र आवंटन किया जायेगा, उससे 01 वर्ष के उपरान्त अथवा सोलर पावर प्लांट के क्रियान्वयन होने की तिथि, उक्त में से जो पहले हो, उस तिथि से विकासकर्ता/कार्यदायी संस्था द्वारा जल क्षेत्र के उपयोग हेतु शासन द्वारा निर्धारित रायल्टी एवं चार्जेज देय होंगे।
20. परियोजना के क्रियान्वयन / स्थापना हेतु न्यूनतम भूमि का आवंटन शासन स्तर से निर्धारित शुल्क के भुगतान पर किया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा उक्त भूमि का उपयोग सोलर पावर प्लांट के क्रियान्वयन/ स्थापना तक ही किया जायेगा। भूमि का अन्य उपयोग किया जाना पूर्णतः निषेध होगा।
21. फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट से मिलने वाले कार्बन क्रेडिट इनपुट का अधिकार सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश का होगा।
22. कार्यदायी संस्था द्वारा प्राकृतिक सम्पदा, भूमि, जलवायु, वन, जल, वायु, वन्य जीव, वनस्पति, पर्यावरण, पारस्थितिकी आदि सम्बन्धी अधिनियम/शासकीय आदेशों/निर्देशों/ मा० उच्च न्यायालय/मा० सर्वोच्च न्यायालय/राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों तथा सुसंगत अन्य समस्त दिशा निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
23. कार्यदायी संस्था द्वारा उपर्युक्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों के विचलन किये जाने की स्थिति में आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा इससे उत्पन्न किसी भी विषम परिस्थिति/जटिलता के लिये कार्यदायी संस्था स्वयं पूर्णतः उत्तरदायी होगी।

2- उपरोक्त निर्णय के अनुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।  
संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,



(महेश कुमार गुप्ता)


अपर मुख्य सचिव।

संख्या-312(1)/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2024 एवं तद् दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मत्स्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संशाधन विभाग, उ0प्र0शासन।
6. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि० शक्ति भवन, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0।
9. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
10. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. गोपन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के अर्द्ध शा0 पत्र संख्या-4/3/7/2024-सी0एक्स0 (1)  
दिनांक 14 मार्च 2024 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
- ✓ 12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(सर्वेश कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव।

फ्लोटिंग सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना के लिए चिन्हित प्रदेश के 35 बाँधों/जलाशयों का विवरण

| क्रम सं० | बाँधों/जलाशयों का नाम | जनपद                 |
|----------|-----------------------|----------------------|
| 1.       | सपरार बाँध            | झांसी                |
| 2.       | बरवा सागर बाँध        | झांसी                |
| 3.       | पथराई बाँध            | झांसी                |
| 4.       | डोंगरी बाँध           | झांसी                |
| 5.       | गढमऊ जलाशय (झील)      | झांसी                |
| 6.       | पाहुज बाँध            | झांसी                |
| 7.       | परीछा बाँध            | झांसी                |
| 8.       | डुकवां बाँध           | झांसी                |
| 9.       | बड़वार झील            | झांसी                |
| 10.      | माताटीला बाँध         | ललितपुर              |
| 11.      | सजनाम बाँध            | ललितपुर              |
| 12.      | गोविन्द सागर बाँध     | ललितपुर              |
| 13.      | जामिनी बाँध           | ललितपुर              |
| 14.      | शहजाद बाँध            | ललितपुर              |
| 15.      | अर्जुन बाँध           | महोबा                |
| 16.      | बेलासागर बाँध         | महोबा                |
| 17.      | पहाड़ी बाँध           | झांसी                |
| 18.      | मौदहा बाँध            | हमीरपुर              |
| 19.      | लहचौरा बाँध           | हमीरपुर              |
| 20.      | चन्द्रावल बाँध        | महोबा                |
| 21.      | कबरई बाँध             | महोबा                |
| 22.      | ओहान बाँध             | चित्रकूट             |
| 23.      | बरूआ बाँध             | चित्रकूट             |
| 24.      | गुन्टा बाँध           | चित्रकूट             |
| 25.      | मझगवा बाँध            | हमीरपुर              |
| 26.      | ऊपर खजोरी बाँध        | मिर्जापुर            |
| 27.      | मूसाखण्ड बाँध         | चकिया चन्दोली        |
| 28.      | लतीफशाह बाँध          | चकिया चन्दोली        |
| 29.      | धदरौल बाँध            | रार्वट्सगंज, सोनभद्र |
| 30.      | अदवा बाँध             | मिर्जापुर            |
| 31.      | रिहन्द बाँध           | रेनुकूट सोनभद्र      |
| 32.      | ओबरा बाँध             | रार्वट्सगंज, सोनभद्र |
| 33.      | कन्हार बाँध           | रार्वट्सगंज, सोनभद्र |
| 34.      | कालागढ़ बाँध          | पौड़ी                |
| 35.      | राजघाट बाँध           | ललितपुर              |

